**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1476**

**दिनांक 04.03.2020/14 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज कराने की सुविधा**

**1476. श्री लाल सिंह वड़ोदियाः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि सरकार साइबर अपराध की शिकायत ‘कहीं भी, कभी भी’ दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है;**

**(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है; और**

**(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी )**

(क) से (ग): जी, हाँ। गृह मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) को कार्यशील किया है। यह पोर्टल, महिलाओं और बच्‍चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष रूप से फोकस करते हुए, नागरिकों को सभी प्रकार के साइबर अपराधों की ऑनलाइन सूचना देने के लिए केन्‍द्रीकृत तंत्र उपलब्‍ध कराता है। इस पोर्टल पर सूचित की गई घटनाओं के संबंध में संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

\*\*\*\*\*